संख्या– 45 /XXXVI(1)/2019-289/2018

प्रेषक,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 12 फरवरी, 2019

विषय– कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू कर विभागीय संरचना का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–417/VIII-C-9(3)/उ0रा0वि0से0प्रा0/2018 दिनांक 03.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–90/XXX(2)/2016-30(51)/2015 दिनांक 26.07.2016 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–106–एक/न्याय विभाग/2002 दिनांक 01.05.2002 द्वारा स्वीकृत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टाफिंग पैटर्न को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	पदनाम	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार)
1	प्रशासनिक अधिकारी	01	44,900-1,42,400 (Level-7)
2	प्रधान सहायक	02	35,400-1,12,400 (Level-6)
3	वरिष्ठ सहायक	03	29,200-92,300 (Level-5)
4	कनिष्ठ सहायक	03	21,700-69,100 (Level-3)
	पदों की कुल संख्या	**09**	

क्रमशः.................2

c:\users\lenovo\documents\bhagwan folder yr 2019\slsa matters 2019\slsa letters2019.docx

3— उक्त स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के रूप में दोहरा लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—55/XXVII(7)/2019 दिनांक 11.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

12.2.2019

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या— ——— /XXXVI(1)/2019-289/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. निदेशक, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23—लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—7 / कार्मिक अनुभाग—2 / न्याय अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(सयन सिंह)
अपर सचिव